

सेवामें,

श्रीमान् नोडल ऑफिसर,

जयपुर

विषय :- प्रस्ताव AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR PROPOSAL NO. FP/RJ/WATER/151001/2022 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक:एफ14()Water 2022 / एफ.सी.ए. / प्रमुवसं.5670-71 दिनांक 18.04.2023

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR PROPOSAL NO. FP/RJ/WATER/151001/2022 का परीक्षण करने के उपरान्त लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	आक्षेप	जवाब
1.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा KML file में वन/अभयारण्य सीमा एवं मंडलवाइज अपलोड नहीं की गयी है। उदयपुर वन्यजीव जिसमें तीन पैच बनाये गये हैं उनका क्षेत्रफल 0.8577 है0 (GSS-898, Pipeline-0.1767)and High tension line-0.5912 जो कि आवेदित वन क्षेत्र 0.8586 है0 से कम है।	उक्त प्रस्ताव को वन/अभयारण्य सीमा वाईज संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में संलग्न DGPS map में कानर्स पाइंट के कोर्डिनेट्स एवं चेनऐज अंकित नहीं किया गया है।	DGPS map में कानर्स पाइंट के कोर्डिनेट्स एवं चेनऐज अंकित कर संशोधित नक्शा अपलोड कर दिया गया है।
3.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा वैकल्पिक मार्ग नहीं होने का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है।	पाईप लाईन रोड के किनारे किनारे ली गई है और पूर्व में 600mm Dia की Existing Pipe line को अपग्रेड किया जाना है इसलिए Alternative Route नहीं दर्शाया गया है।
4.	प्रस्ताव में झील से पानी लिया जा रहा है एवं अभयारण्य क्षेत्र में जी0एस0एस0 एवं अन्य कार्य भी किये जाने हैं ऐसी स्थिति में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन्यजीव क्षेत्र में अभी आवेदन भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वन्यजीव स्वीकृति भी आवश्यक है।	वन्यजीव स्वीकृति का प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया है।
5.	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम मामादेय तहसील कुरावड में 1.9637 है0 एवं विकास नगर तहसील खेरवाडा में 0.15 है0 भूमि आवंटित की गयी है। जबकि पूर्व में 2.1137 है0 नामादेय में आवंटित की गयी है उक्त भूमि को एक स्थान पर नहीं लिये जाने के कारण स्पष्ट किया जावे।	तहसील खेरवाडा में 0.15 हैक्ट. भूमि आवंटन हेतु उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा जिला कलेक्टर, उदयपुर से स्पेशल मांग की गई थी। इसलिए 0.15 हैक्ट. भूमि खेरवाडा में उपलब्ध करवाई गई है।
6.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।
7.	पाईप लाइन कितने मी0मी0 की पानी की पाइप लाइन डाली जानी है स्पष्ट नहीं है एवं इसके क्रॉस सेक्शन संलग्न नहीं है।	900mm Dia की पाइप लाईन डाली जानी प्रस्तावित है।
8.	प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों अनुसार 33 KV Transmission Line डाली जानी प्रस्तावित है इस हेतु ROW 7 मीटर लिया गया है जबकि 15 मीटर लिया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित कर 33 KV Sqmm XEPL cable डाली जावेगी
9.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति संलग्न नहीं की गयी है।	संलग्न कर दी गई है।
10.	एरिया केलकुलेशन शीट में अभयारण्य क्षेत्र में वन/गैर वन भूमि का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है।	संशोधित कर दिया गया है।

11.	बार चार्ट में चेनऐज अंकित नहीं किये गये हैं।	बार चार्ट में चेनऐज अंकित कर संशोधित कर दिया गया है।
12.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में प्राप्त भूमि के DGPS map में वन सीमा इत्यादि का विवरण नहीं है। उक्त भूमि वन सीमा से काफी दूर है।	संशोधित कर दिया गया है।
13.	DCF WL Udaipur द्वारा कोई वृक्ष प्रस्तावित क्षेत्र में आना नहीं दर्शाया गया है। जबकि संलग्न डिजीटल मानचित्र में वृक्षों का आना दिख रहा है। इसमें कितने वृक्षों का पातन किया जावेगा एवं कितने वृक्ष छंगाई किये जावेंगे, स्पष्ट किया जाना है।	कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, उदयपुर से संबंधित है।
14.	DCF WL Udaipur द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित क्षेत्र के वन्यजीव प्रबंधन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अभयारण्य के बफर एवं इको सेसेन्सिटिव क्षेत्र में आना दर्शाया गया है जबकि उक्त प्रस्तावित क्षेत्र अभयारण्य के अंदर स्थित है।	कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, उदयपुर से संबंधित है।
15.	DCF WL Udaipur द्वारा पार्ट II में एन0पी0वी0 गणना, प्रभावित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति आदि संलग्न नहीं की गयी है।	कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, उदयपुर से संबंधित है।
16.	CCF Udaipur द्वारा पार्ट III में 2.1125 है0 वन भूमि की अनुशंसा की गयी है। जबकि उनका प्रभावित वन क्षेत्र 1.2551 है0 है।	कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर से संबंधित है।
17.	CCF WL Udaipur द्वारा पार्ट III में कितनी वनभूमि हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है अंकित नहीं है।	कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर से संबंधित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(ललित जोशी)
सहायक अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
परियोजना उपखण्ड, उदयपुर
 भवदीय